

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052022-236162 CG-DL-E-31052022-236162

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2367] No. 2367] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2022/ज्येष्ठ 10, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2022/JYAISHTHA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क)

अधिसचना

नई दिल्ली. 31 मई. 2022

सं. 48/2022-सीमाश्ल्क (एन.टी.)

का.आ. 2494(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51 क की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात की संतुष्टि होने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतदद्वारा अधिसूचना संख्या 19/2022- सीमाशुल्क (एन.टी) दिनांक 30 मार्च, 2022 में संशोधन करता है, जो कि का.आ. 1512 (अ) दिनांक 30 मार्च, 2022 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गयी है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में, खंड 2 में, आंकड़ो, अक्षर और शब्दों के बाद "1 जून 2022" के स्थान पर आंकड़ो, अक्षर और शब्दों, "30 नवम्बर 2022", को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 442/02/2017-सीमाश्ल्क IV (भाग)]

अनंत राधाकृष्णन, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना, का.आ.1512 (अ) दिनांक 30 मार्च, 2022 के तहत अधिसूचना सं. 19/2022-सीमाशुल्क (एन.टी) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

3647 GI/2022 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2022

No. 48/2022-Customs (N.T.)

S.O. 2494(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 51A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby amends the notification No.19/2022-Customs (N.T.) dated the 30th March 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 1512 (E), dated the 30th March, 2022, namely, -

In the said notification, in clause 2, for the figures, letters and word "1st June, 2022", "30th November, 2022", shall be substituted.

[F. No. 442/02/2017-Cus IV(Pt)]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide notification no. 19/2022—Customs (N.T.), dated the 30th March, 2022, vide number S. O. 1512 (E), dated the 30th March, 2022.